# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015
दूरभाष :– 0612–2215895, वेबसाइट– krishi.bih.nic.in ई–मेल– diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

संचिका सं0– 15/उ0 भा0 का राजपत्र– 02/16 916 /कृ0 पटना ,दिनांक 04/12/2019

प्रेषक,

**कृषि निदेशक**
बिहार, पटना।

सेवा में,

**सभी जिला कृषि पदाधिकारी**

विषय :– **भारत सरकार का राजपत्र संख्या 3141 दिनांक 25.09.2019 के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि The Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order 1985 के खंड '10' के अन्तगर्त उर्वरकों की अनुज्ञप्तियाँ निर्गत की जाती थी। उसकी अनुज्ञप्ति जारी करने की तिथि से वैद्यता तिथि तीन वर्षो के लिए होती थी। भारत सरकार के राजपत्र संख्या– 3141 दिनांक 25.09.2019 के अनुसार FCO 1985 के खंड '10' में संशोधन किया गया है, वर्तमान में जो उर्वरक अनुज्ञप्ति (विनिर्माण एवं विपणन) निर्गत किए जाएगें, उसकी वैद्यता, अनुज्ञप्ति निर्गत करने की तिथि से पाँच वर्षो के लिए कर दिया गया है। इसे बिहार राज्य में लागु किया गया है, जिस पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0– भारत सरकार का राजपत्र।

Govt of Bihar
Directorate of Agriculture

विश्वासभाजन

**कृषि निदेशक**
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 916 /कृ0, पटना दिनांक : 04/12/ 2019

प्रतिलिपि : कृषि मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव, कृषि विभाग/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

**कृषि निदेशक**
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 916 /कृ0, पटना दिनांक : 04/12/ 2019

प्रतिलिपि : संभी संयुक्त निदेशक(शष्य) फसल एवं प्रक्षेत्र–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, उपादान, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य)/संयुक्त निदेशक(रसायन) गुण नियंत्रण, मीठापुर, पटना/संयुक्त निदेशक(रसायन)कम्पोस्ट एवं बायो गैस, बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य) प्रक्षेत्र–सह–प्रभारी पदाधिकारी, उपादान–सह–उर्वरक अनुज्ञप्ति बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य) जैविक कोषांग बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य) बीज अनुज्ञप्ति बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य) उर्वरक प्रवर्तन, बिहार, पटना/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी/सभी उर्वरक विनिर्माण/ विपणन कर्त्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

**कृषि निदेशक**
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 916 /कृ0, पटना दिनांक : 04/12/ 2019

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

**कृषि निदेशक**
बिहार, पटना।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सं० निदे० (श०)
प्र० पदा०, उर्वरक अनु०
बिहार, पटना

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3141] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2019/आश्विन 3, 1941
No. 3141] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2019/ASVINA 3, 1941

## कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

### (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2019

**का.आ. 3447(अ).**—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2019 है ।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985, के खंड 10 में "तीन" वर्ष शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 3-3/2019- उर्व.विधि]

नीरज आडीदम, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल आदेश, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 758(अ) द्वारा तारीख 25 सितंबर, 1985 को प्रकाशित किया गया था और का.आ.सं. 5887(अ) द्वारा तारीख 1 दिसम्बर, 2018 को अंतिम संशोधित किया गया था ।



Scanned by CamScanner

(31)



## MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

### (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

### ORDER

New Delhi, the 25th September, 2019

**S.O. 3447(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-

(1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed (Control) Amendment Order, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed (Control) Order, 1985, in clause 10 for the words "three years", the words "five years" shall be substituted.

[F.No.3-3/2019-Fert. Law]

NEERJA ADIDAM, Jt. Secy.

**Note :** The principal order was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 758(E), dated the 25th September, 1985 and was last amended vide number S.O.5887(E), dated the 1st December, 2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.09.26 16:41:56 +05'30'

Scanned by CamScanner